

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

मिसल नं. 2/45/2022

तारीख रजू.....

बन्दी

बनाम

पूरन वगैरा

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|-------------|---|---|
| 22.02.2022  | <p>वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की तार्ईद मे वकील सायला ने शपथ पत्र नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के, पक्ष में बखूबी सावित है।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी खसरा नं0 233/1362, 253/1361, 1185, 1187/1358, 269/1352, वाके ग्राम खेरली रेल तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात में रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है ऐसे में अप्रार्थी में सें किसी के उपस्थित होकर वहस के लिए कहने पर वकिल प्रार्थीगण को अनिवार्यत बहस करनी होगी, अन्यथा एक्सपार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावें।</p> <p>अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोइ उज्र हो तो दिनांक 11.03.2022 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थी जरिये रजि0 डाक नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 11.03.2022 को वास्ते तलबी अप्रार्थी पेश हो।</p> |   |

उपखण्ड अधिकारी  
कठूमर (अलवर)

11/3/22

वकील सायल  
कठूमर जिला अलवर 22.2.22  
को पेश करने में प्रार्थी को तलब 11/3/22 रजि0 5935  
दिनांक 11/3/22 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी  
कठूमर (अलवर)

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज   | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए                |
|-------------|--|--|
| 17/5/22     | <p>वकील जयपुर</p> <p>सर्विसिक आदेश दिनांक 22.2.22</p> <p>की पालना में मया वि. नं. 100/2019</p> <p>दिनांक 21/5/22</p> <p>जज (अनवर)</p>  | <p>मे शपना वाद नहीं</p> <p>यजना यादशी है</p> <p>बन्दी</p> <p>रिज</p> |
| 22/6/22     | <p>पत्रावली आज डील कार्ड के साथ पेश हुई। वकील जयपुर के जमाना - पत्र पेश कर अफते कार्ड का जमाना - पत्र को डली स्ट्रेज पर रखाजित करने का निवेदन किया। पर पत्र पत्रावली को अफते कर लिया। अतः पर पत्र पर साथ वकील जयपुर के जमाना - पत्र के आधार पर डली स्ट्रेज पर रखाजित किया जाता है। पत्रावली में माल शुभारंभ के संबंध में डील कार्ड के साथ पत्र जमा कर दिया है।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी</p> <p>कटूमर (अनवर)</p> | <p>बन्दी</p> <p>रिज</p>  |